न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 92 / 2024

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये श्री अनिल कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर		श्री किशनसिंह राठौड़ पुत्र श्री सादुलसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम धारवीखुर्द तहसील शिव जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री ललित कुमार, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 18.09.2024 को श्री अनिल कुमार प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर, श्री कंवराराम जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर, एवं श्री भारूराम, नायब तहसीलदार शिव के साथ मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर मैसर्स किशनसिंह, भीयाड़ के परिसर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री किशन सिंह उपस्थित मिला। मौके पर उक्त परिसर के आगे श्री ओम बन्ना गैस एजेन्सी की गाडी पिकअप RJ 19 GE 4657 खड़ी पायी [illegible] छ करने पर मौके पर उपस्थित श्री किशनसिंह [illegible] श्री ओम बन्ना गैस एजेन्सी, शिव की है आज ड्राईवर [illegible] से इस गाडी को मैं [illegible] हेतु लेकर आया हूँ। अप्रार्थी ने बताया कि [illegible] एजेन्सी से 20 सिले[illegible]कर निकला था जिसमें ग्राहको को कुछ सिलेण्डर दे दिये और बाकी के सिलेण्डर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:12:02 IST
Reason: SelfAttested

भरे हुए गाडी में है। इसकी जांच उपरांत 20 घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग मे लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (एचपीसीएल, आईओसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया।

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	726112P	IOCL	16.000 Kg	16.000 Kg	0.000 Kg
2.	121819	IOCL	16.100 Kg	16.100 Kg	0.000 Kg
3.	27073P	HPCL	15.500 Kg	15.500 Kg	0.000 Kg
4.	322308S	HPCL	15.600 Kg	15.600 Kg	0.000 Kg
5.	33546T	HPCL	30.000 Kg	15.800 Kg	14.200 Kg
6.	153256E	HPCL	29.900 Kg	15.700 Kg	14.200 Kg
7.	109	HPCL	32.000 Kg	17.800 Kg	14.200 Kg
8.	007706P	HPCL	29.700 Kg	15.500 Kg	14.200 Kg
9.	082644T	HPCL	29.400 Kg	15.200 Kg	14.200 Kg
10.	673276E	HPCL	30.000 Kg	15.800 Kg	14.200 Kg
11.	1728P	HPCL	29.500 Kg	15.300 Kg	14.200 Kg
12.	577485S	HPCL	29.900 Kg	15.700 Kg	14.200 Kg
13.	26114S	HPCL	30.200 Kg	16.000 Kg	14.200 Kg
14.	2152T	HPCL	30.700 Kg	16.500 Kg	14.200 Kg
15.	071843S	HPCL	30.200 Kg	16.000 Kg	14.200 Kg
16.	289099S	HPCL	26.600 Kg	15.400 Kg	14.200 Kg
17.	329358	HPCL	29.9[illegible]	15.700 Kg	14.200 Kg
18.	239338	HPCL	31.200 Kg	17.000 Kg	14.200 Kg
19.	753501S	HPCL	30.100 Kg	15.900 Kg	14.200 Kg
20.	583759S	HPCL	29.800 Kg	15.600 Kg	14.200 Kg

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:12:02 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर उक्त गाडी मे पाये गये घरेलु उपयोग के बीस गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा लिखित जवाब में प्रकट किया कि अप्रार्थी श्री किशनसिंह जो धारवी कला का रहने वाला है जो वाहन चालक सलीम खां का पूर्व मे परिचित है। वक्त बरामदगी उक्त सिलेण्डर श्री ओम बन्ना एचपी गैस ग्रामीण वितरण के गेट के पास संख्या 785 दिनांक 18.09.2024 मे जारी किये गये थे। जिन पर गौदाम कीपर अमरसिंह के हस्ताक्षर है जो वाहन चालक सलीम खान को उस दिन सुपुर्दगी किये गये थे, लेकिन सुपुर्दी के पूर्व सलीम के माताजी की तबीयत खराब होने की वजह से किशनसिंह जो वाहन संख्या RJ 19 GE 4657 का मालिक है से सलीम खां द्वारा सम्पर्क किया गया तथा यह कहा कि मेरी माताजी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया है ऐसी स्थिति मे एजेन्सी के सिलेण्डर जो भियाड़ चौराहा के पास सुरक्षित रखे गये है जो आप अपने वाहन में कब्जे में लेकर [illegible] इमरजेंसी परिस्थिति खत्म हो तो मैं अतिशीघ्र प्राप्त कर आपको वितरित कर दूंगा। उक्त सिलेण्डर पुनः प्राप्त करने से पूर्व ही विभागीय कार्यवाही में सिलेण्डर किशनसिंह के पास गये जिसका उचित स्पष्टीकरण मय गेट पास किशनसिंह द्वारा फर्द जब्ती के समय विभागीय अधिकारीयों को मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:12:02 IST
Reason: SelfAttested

उपलब्ध करवाया गया, किन्तु विभागीय अधिकारीयों द्वारा जानबूझ कर उक्त कार्यवाही स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों को नजरअंदाज कर अवैध रूप से की गई। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुकून नहीं है लिहाजा उसके विरूद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर उसे दिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक पसिसर पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना –पत्र के संलग्न मौका जांच रिपोर्ट में जांच स्थल पर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर व ग्राहको का अवैध रूप से विक्रय पाया गया था। जब मौके पर गेट पास संख्या 785 दिनांक 18.09.2024 पाया गया था तो फिर उक्त घरेलू सिलेण्डर का अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक उपयोग किस प्रकार किया जा रहा था ? स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है लिहाजा उक्त सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोग होना साबित नहीं होता है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा प्रकरण में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन होना प्रकट किया हैं जबकि इस आशय का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने का भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित होने एवं धारा 7 के आपराधिक कृत्य के अभाव में सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:12:02 IST
Reason: SelfAttested

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या RJ 19 GE 4657 के लिये अप्रार्थी की ओर से निष्पादित सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा निरस्त किये जाकर कब्जा सरकार से एतद्द्वारा मुक्त किया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि कब्जा सरकार से मुक्त वाहन एवं 20 गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस एवं पुनः अप्रार्थी को सुपुर्द करें।

5. आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 16:12:02 IST
Reason: SelfAttested